प्रतियोगी परीक्षाएं

3092. **श्री शरद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की सेवाओं के लिए कौन-कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं ;

(ख) क्या इन सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है, यदि नहीं, तो उन परीक्षाओं के नाम क्या हैं, जिनमें अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार उन सेवाओं की ऐसी परीक्षाओं में जिनमें अंग्रेजी अनिवार्य है, हिन्दी आरम्भ करने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है **(नीचे देखिए)** । इसमें रेल विभाग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम शामिल नहीं हैं

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के सुचारू कार्यकरण के हित में तथा प्रशासनिक हित में सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लागू करना इस स्तर पर व्यवहार्य नहीं है ।

विवरण

(क) 1. आशुलिपिक परीक्षा

2. संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा

3. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा

4. भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा

5. विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु परीक्षा

6. भारतीय वन सेवा परीक्षा

7. इन्जीनियरिंग सेवा परीक्षा

8. सहायक ग्रेड परीक्षा

9. भू विज्ञानी परीक्षा

10. सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा

11. संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा

12. सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा

13. अनुभाग अधिकारी आशुलिपिक (समूह ख/समूह 1) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए समूह 1 (अवर सचिव) (यू०एस०) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

15. दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा इत्यादि परीक्षा की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आय कर शुल्क निरीक्षक परीक्षा ग्रेड–II

16. लेखा परीक्षक/कनिष्ठ लेखाकार उच्च श्रेणी लिपिक परीक्षा

17. ग्रेड "घ" आशुलिपिक परीक्षा

18. लिपिक ग्रेड परीक्षा

19. हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा

20. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक परीक्षा

21. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा (कनिष्ठ / वरिष्ठ) हिन्दी अनुवादक परीक्षा

22. ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव की भर्ती

23. अन्वेषकों की भर्ती

24. कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष परीक्षा

25. वरिष्ठ पर्यवेक्षक परीक्षा

26. पुलिस उपनिरीक्षक (दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) परीक्षा

(ख) निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय नही है :—

1. सिविल सेवा (प्रारंभिक परीक्षा)
2. संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा
3. अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड "ख" ग्रेड 1) सीमित विभागीय/प्रतियोगी परीक्षा
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ग्रेड I (अवर सचिव) (यू० एस०) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा
5. हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा
6. हिन्दी अनुवादक परीक्षा
7. कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष परीक्षा
8. दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षकों के लिए परीक्षा

Purchase of nuclear reactor from USSR

3093. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any agreement has been signed between Government of India anl the U.S.S.R. on the purchase of Nuclear Reactors;

(b) if so, what are the terms of this agreement; and

(c) the financial implication in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) Discussions are continuing on technical, economic, and other aspects of the Soviet offer to assist in the setting up of pressurised light water reactors. Government have taken no decision in the matter.

(c) Does not arise.

Resignation by the Chief Justice of a High Court

3094. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Chief Justice of a High Court had resigned on being transferred from one State to another without his consent; and

(b) if so, the reaction of the Government of India in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANS RAJ BHARDWAJ): (a) and (b) The Chief Justice of the Calcutta High Court, in his letter dated 12th February, 1988 addressed to the President of India, has sought premature voluntary retirement with effect from 2nd May, 1988 on account of the illness of his wife.

सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग

3095. **डा० रत्नाकर पांडेय :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि और न्याय मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी भाषी राज्यों के सभी कर्मचारी अनिवार्यत: हिन्दी में कार्य करते हैं ; और

(ख) यदि नही, तो क्या उन्हे अनिवार्य रूप से हिन्दी में कार्य करने के लिए कहा जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) (क) और (ख) विधायी विभाग प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है । केवल आयकर अपील अधिकरण ही विधि कार्य विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है । देश में 19